दिनांक 11.08.2026
प्रेस विज्ञप्ति 423 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की प्रयागराज इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 11.08.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की प्रयागराज इकाई** द्वारा भीम सिंह निवासी संग्रामपुर सानी थाना खागा जनपद फतेहपुर से दिनांक 17.06.26 को कराये गये बैनामे में आरोपी द्वारा झूठे तथ्य दिखाकर मुकदमा लिखाने की धमकी देकर मुकदमे से बचाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक अलाउद्दीन अंसारी के नेतृत्व में कार्यालय उप निबन्धक तहसील खागा जनपद फतेहपुर से **कनिष्ठ सहायक राहुल कुमार बौद्ध (उप निबन्धक कार्यालय तहसील खागा फतेहपुर)** पुत्र स्व0 रामलखन बौद्ध निवासी ग्राम पूरे धनी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ को **01 लाख रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 11.08.2026
प्रेस विज्ञप्ति 424/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना जानकीपुरम

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 26 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **चोरी के 03 लाख 97 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के पैसो से खरीदी गई मोटर साइकिल**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 10.08.2026 को थाना जानकीपुरम व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1–मो0शोएब उर्फ सुहेल 2–रवि उर्फ शाका को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 26 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, चोरी के 03 लाख 97 हजार रूपये नगद, चोरी के पैसो से खरीदी गई मोटर साइकिल, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना जानकीपुरम क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जानकीपुरम पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त मो0शोएब उर्फ सुहेल शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बाराबंकी व कमिश्नरनेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना जानकीपुरम पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–मो0शोएब उर्फ सुहेल निवासी ग्राम धधरा थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी।

2–रवि उर्फ शाका निवासी ग्राम जमुआ थाना घुंघटेर जनपद बाराबंकी।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 26 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–चोरी के 03 लाख 97 हजार रूपये नगद।

3–चोरी के पैसो से खरीदी गई मोटर साइकिल।

4–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

<u>जनपद महोबा/थाना कोतवाली नगर</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **18 हजार 500 रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 11.08.2026 को थाना कोतवाली नगर, स्वाट व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पठा रोड नहर पुलिया शेखूनगर के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–यासीन उर्फ घोड़ा 2–वारिस उर्फ लुच्ची घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 3–नईम उर्फ चापे 4–पीयूष सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण, 18 हजार 500 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त वारिस उर्फ लुच्ची के विरूद्ध जनपद महोबा, बांदा के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट,

गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 15 अभियोग व अभियुक्त यासीन उर्फ घोड़ा के विरूद्ध हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–यासीन उर्फ घोड़ा निवासी बिच्छू पहाड़िया, कांशीराम कालोनी, महोबा।

2–वारिस उर्फ लुच्ची निवासी मिल्कीपुर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा।

3–नईम उर्फ चापे निवासी बिच्छू पहाड़िया, कांशीराम कालोनी, महोबा।

4–पीयूष निवासी पवा थाना श्रीनगर जनपद महोबा।

बरामदगी

1–चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–18 हजार 500 रूपये नगद।

3–02 मोबाइल फोन।

4–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट आगरा/थाना ट्रांस यमुना

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 45 लाख रूपये कीमत के 415 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक आदि बरामद**

दिनांक 10.08.2026 को थाना ट्रांस यमुना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर झरना नाले के पास से 02 अभियुक्तों 1–डालूराम 2–नानगाराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 45 लाख रूपये कीमत के 415 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना ट्रांस यमुना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–डालूराम निवासी ग्राम सैलउ थाना रामसर जनपद बाडमेर राजस्थान।

2–नानगाराम निवासी ग्राम पोशाल बिजराड थाना बिजराड जनपद बाडमेर राजस्थान।

बरामदगी

1–लगभग 45 लाख रूपये कीमत के 415 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन।

3–घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक आदि।

- **जनपद हाथरस/थाना कोतवाली हाथरस (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद हाथरस पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हाथरस द्वारा थाना कोतवाली हाथरस पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–गौरव 2–मोनिस कान्त को धारा 302/149/147/148 भादवि व 25/27(1) आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत सश्रम आजीवन कारावास व 62 हजार रूपये अर्थदण्ड, अभियुक्त 3–सन्तोष 4–देवेन्द्र उर्फ देबू उर्फ देवकी को धारा 302/149/148/147 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत सश्रम आजीवन कारावास व 59 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 5–रामू उर्फ रामकुमार को धारा 302/149/147/148 के अन्तर्गत सश्रम आजीवन कारावास व 56 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद मैनपुरी/थाना बेवर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मैनपुरी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मैनपुरी द्वारा थाना बेवर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 3(5)/103(1)/70(2) बीएनएस व 5(2)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त करन उर्फ आलोक को आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बांदा/थाना बबेरू (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना बबेरू पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त

रज्जू उर्फ शिवपूजन को आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अमरोहा/थाना गजरौला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना गजरौला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रंजीत को 25 वर्ष के कठोर कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना पयागपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना पयागपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/451/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त बुधराम को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————